(c) by when the beautification work is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No Sir, The station and its surroundings are in satisfactory condition

(b) and (c) Do not arise.

तुर्की में विद्युत संकेत लगाने हेतु ठेका दिया जाना

6307. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे को तुर्की के रेल मार्गों पर विद्युत संकेत लगाने का ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रेलवे को अन्य कौन-कौन से ठेके मिलने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

New Train from Delhi-Jalandhar via Chandigarh

6308. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to start a new train between Delhi-Jalandhar via Chandigarh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the new train would be introduced; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) There is no proposal at present.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Operational constraints and lack of resources. Besides, the proposed train if introduced, will involve double running on Ambala-Chandigarh section leading to more journey time and fares which will not be liked by through passengers. Moreover, sufficient number of trains are already available between Delhi/New Delhi and Jalandhar via Ambala.

अरुणाचल प्रदेश में रेल लाइनें बिछाया जाना

6309. **श्री न्योडेक योंगम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरूणाचल प्रदेश में नई लाइनें बिछाने के लिए किन-किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या अ रुणाचल प्रदेश के चंगलांम जिले में "मियाओ" को इस योजना में शामिल करने का सरकार को कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के आरंभ होने की संभावित तिथि और समय क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिया जाना

6310. **श्री रामजीलाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान रेल दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को दुर्घटना के तीन माह के अंदर मुआवजे का भुगतान किया था;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) उस धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसका प्रावधान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में किया है;

(घ) क्या सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ़) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) दुर्घटना क्षतिपूर्ति के लिए दावों का भुगतान अब यूलाईटिड इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा किया जाता है जिसे प्रतिवर्ष बीमे की किश्त अदा की जाती है। इस खाते में बीमे की किश्त के रूप में 1995-96 में (ब अ) 5.57 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।